



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276505
CG-DL-E-25092026-276505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4964]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4964]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5170(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारियों को असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के बैहाटा चरियाली से मिशन चरियाली तक (मंगलदोई बाई पास के अतिरिक्त) उदालगुरी जिले में डिज़ाइन चनेज किमी 71.900 से किमी 90.100 और किमी 91.800 से किमी 93.100 को चार लेन बनाने, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है, जो कि उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि भूमि के खंड के संबंध में है, जो कि राज्य, जिला, तालुक और क्रमशः (4), (5), (6), और (7), में उल्लिखित गांवों से संबंधित है।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-15 के बैहाटा चरियाली से मिशन चरियाली खंड तक(मंगलदोई बाईपास केअतिरिक्त)के लिए भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	सचिव, बीटीसी कोकराझार सह सक्षम प्राधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH15 के कि.मी 71.9 से कि.मी 93.1 तक	असम	उदालगुरी	उदालगुरी	1 भालुकमारी गाँव 2 धनसिरी खुटी 3 झारगांव नंबर 1 4 झारगांव नंबर 2 5 रौता बागान 6 सरबहिरुआ मज़बत 1 थेलामारा

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Tezpur/BM/Udalguri/262088]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5170(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, district, taluk and villages mentioned in the column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for building, maintenance, management and operation of Four Lane of NH-15 from Baihata Chariali to Mission Chariali , excluding Mangaldoi Bypass from Design Chainage Km 71.900 to Km 90.100 and Km 91.800 to Km 93.100 in District Udalguri in the State of Assam.

SCHEDULE

Land acquisition for NH-15, Baihata Chariali to Mission Chariali section (excluding Mangaldoi Bypass) in the State of ASSAM

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Secretary, BTC Kokrajhar cum CALA	NH15 KM 71.9 TO KM 93.1	ASSAM	UDALGURI	Udalguri	1 Bhalukmari Gaon 2 Dhansiri Khuti 3 Jhargaon No.1 4 Jhargaon No.2 5 Rowta Bagan 6 Sarbaherua Mazbat 1 Thelamara

[F. No. NHIDCL/PMU-Tezpur/BM/Udalguri/262088]

SHAIKH AMINKHAN, Director